



कृषि नवोन्मेष और संवर्धन निधि (एफआईपीएफ)

जांच सूची

कृषि और कृषि क्षेत्र की अन्य गतिविधियों के क्षेत्र में नवोन्मेषों को बढ़ावा देने के लिए नाबार्ड द्वारा कृषि नवोन्मेष और संवर्धन निधि (एफआईपीएफ) बनाई गई है. यद्यपि, इन क्षेत्रों में पहले से ही अनुसंधान संस्थानों, कृषि विश्वविद्यालयों, कृषि विज्ञान केन्द्रों, गैर सरकारी संगठनों और अन्य व्यक्तियों द्वारा कई नवोन्मेषी पहलें की जा रही हैं, किंतु संसाधन सहायता का अभाव उनके तेजी से विकास में एक बड़ी बाधा रही है. उक्त क्षेत्रों में अनुभव और काम करने की इच्छा होने वाली एजेंसियां संलग्न प्रपत्र में आवश्यक जानकारी भरें और संबंधित राज्यों में नाबार्ड क्षेत्रीय कार्यालय को प्रस्तुत करें.

क्रम सं.	दस्तावेज	क्या संलग्न है या नहीं
1	वित्तीय सहायता की मांग हेतु विधिवत रूप से भरा हुआ प्रारूप	
2	विधिवत रूप में भरा हुआ वचनपत्र प्रमाणपत्र का प्रारूप	
3	गैर सरकारी संगठनों और अन्य संस्थानों के मामले में पिछले तीन साल की लेखा परीक्षित बैलन्सशीट वित्तीय विवरण के साथ एजेंसी की पृष्ठभूमि का संक्षिप्त विवरण	



**कृषि नवोन्मेष और संवर्धन निधि (एफआईपीएफ) से वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिए प्रारूप**

1. संस्था / एजेंसी / व्यक्ति का नाम और पता (टेलीफोन नंबर / ई - मेल, फैक्स नंबर आदि के साथ पूरा पता)
2. गैर सरकारी संगठनों और अन्य संस्थानों के मामले में पिछले तीन साल का लेखा परीक्षित वित्तीय विवरण के साथ एजेंसी का संक्षिप्त पृष्ठभूमि विवरण
3. प्रस्तावित परियोजना / प्रयोजन और अपेक्षित परिणाम का विवरण
4. कृषि और ग्रामीण क्षेत्र के लिए प्रस्ताव की प्रासंगिकता
5. परियोजना की अवधि
- क. परियोजना के प्रारंभ होने की तिथि (पूरा विवरण)
- ख. परियोजना के पूरा होने की तिथि
- 6 . प्रस्तावित परियोजना / कार्य की कुल लागत / परिव्यय (प्रस्ताव में परिकल्पित प्रत्येक मद का विस्तृत विवरण प्रस्तुत करें). रुपये..... लाख
7. एजेंसी / व्यक्ति का स्वयं का योगदान रुपये . .... लाख
8. नाबार्ड से मांगी सहायता की मात्रा रुपये..... लाख
9. निगरानी तंत्र (निगरानी समिति की बैठकों का आयोजन, निगरानी रिपोर्ट प्रस्तुत करना आदि)
10. प्रमाणपत्र /वचनपत्र (अनुबंध II में निर्धारित प्रारूप के अनुसार) .



राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक

National Bank for Agriculture and Rural Development

नाबाईड www.nabard.org

अनुबंध-II

प्रमाण पत्र / वचनपत्र का प्रारूप

प्रमाणित किया जाता है कि :

I. परियोजना के तहत प्रस्तावित काम किसी भी तरह से पहले से ही किए गए काम या कहीं किए जा रहे काम की नकल नहीं है.

ii. प्रस्तावित परियोजना का काम आवेदक / एजेंसी के मैनेजेंट / सामान्य गतिविधियों में नहीं है.

III. प्रस्तावित कार्य को आवेदक / एजेंसी के सक्षम प्राधिकारी का अनुमोदन प्राप्त है.

IV. मैं / हम वचन देते हैं कि नाबाईड द्वारा उपलब्ध कराई जाने वाली सहायता का उपयोग उस उद्देश्य के लिए किया जाएगा जिसके लिए नाबाईड द्वारा मंजूरी दी गई है और उसका उपयोग करने हमारी असमर्थता की स्थिति में है हम इस प्रयोजन के लिए नाबाईड द्वारा जारी कि गई पूरी राशि ब्याज सहित या नाबाईड द्वारा लगाए / जोर दिए जाने वाले अन्य दंडात्मक प्रभार सहित वापस कर देंगे.

स्थान: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
प्राधिकृत अधिकारी / प्रस्तावक का हस्ताक्षर

दिनांक: \_\_\_\_\_